कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज

प्रशासनिक आदेश संख्या– 121 **दिनांक 09–07–2020**

आदेश

प्रभारी अधीक्षक जिला कारागार, कासगंज के पत्रांक संख्या /ई.ओ. /2020 दिनांकित–04.07.2020 द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद कासगंज के विभिन्न न्यायालयों से दिनांक 19.06.2020 से 27.06.2020 के मध्य प्रथम रिमाण्ड से जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध बन्दियों में से 11 बन्दी कोरोना पोजिटिव पाये गये। उक्त बन्दियों के सम्भावित सम्पर्क में आये हुये जनपद न्यायालय के कर्मचारीगण की जॉच करायी गयी। जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के पत्रांक संख्या 1209/एस0टी0–डी0एम0–2020 दिनांक 09.07.2020 एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, कासगंज के पत्रांक संख्या 7116/कोरोना.के.एस.जे./दिनांकित 09.07.2020 के माध्यम से यह सूचना दी गयी है कि एस.आई. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र, जिनकी तैनाती जनपद न्यायालय परिसर में स्थित लॉकप पर वतौर लॉकअप इंजार्च थी, वह जॉच में कोरोना पोजिटिव पाये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रत्रांक संख्या-- 1117 /LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated-03/06/2020 के परिप्रक्ष्य में एक दिन के लिये जनपद न्यायालय, कासगंज के मुख्यालय को बन्द किया जाना आवश्यक है। तदनुसार निम्न प्रशासनिक आदेश पारित किया जाता है –

1– उपरोक्त असाधारण परिस्थितियों में कोरोना पीजीटिव कर्मचारी की विगत समय में उपस्थित के कारण संक्रमण के सम्भावित फैलाव को रोकने के उद्देश्य से और सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का प्रभावी सेनेटाजेशन कराने के लिये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रत्रांक संख्या– 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated-03/06/2020 में दिये गये निर्देशों के प्रस्तर संख्या–15 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज के मुख्यालय को दिनॉक 10–07–2020 के लिये बन्द किया जाता है। उक्त दिनांक को ग्राम न्यायालय, पटियाली पूर्ववत् कार्य करेगा ।

2– दिनॉक 10–07-2020 में जिला जज , परिवार न्यायालय, विशेष अधिकारिता प्राप्त न्यायालय एवं अपर जिला जज के न्यायालयों में नियत पत्रावलियों के लिये आगामी सामान्य तिथि दिनॉक 20–07–2020 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सी0डि0), सिविल जज (जू0डि0) एंव समस्त अन्य कार्यरत न्यायालयों (ग्रामीण न्यायालय, पटियाली को छोड कर) में नियत पत्रावलियों में आगामी सामान्य तिथि 30–07–2020 नियत की जाती है

3– सभी न्यायालयों के जमानत प्रार्थनापत्र एवं अर्जेन्ट प्रकृति के प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 13–07–2020 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो।

4– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी नजारत कासगंज को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा मुख्यालय स्थित प्रत्येक न्यायालय कक्ष एवं सभी कार्यालयों को सेनेटाइज व साफ सफाई कराने हेतु जिलाधिकारी कासगंज, मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कासगंज को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5– जो प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय परिसर में प्रशिक्षण (ई–ट्रेंनिंग) प्राप्त कर रहे हैं वे उक्त दिवस में अपने आवास से प्रशिक्षण प्राप्त करेगें तथा अगले कार्य दिवस पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की लिखित सूचना मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य दिवस में रिमाण्ड कार्य अवकाश दिवसों की भांति सम्पादित कराने हेतु व्यवस्था करते हुये आदेश पारित करें।

9.7.20

क्रमशः.....................

Scanned with CamScanner

7— इस आदेश की प्रति अध्यक्ष/सचिव बार ऐसोसिएशन कासगंज को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे तदनुसार समस्त विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में न आने के लिये अवगत करायें जिससे कि समस्त अधिवक्ता चैम्बरों को भी सेनेटाइज किया जा सके।

8— इस आदेश की प्रति मय कोरोना पोजिटिव पाये गये बन्दियों के प्रथम रिमाण्ड की सूची के साथ, अध्यक्ष सचिव बार ऐसोसिएशन कासगंज को इस उद्देश्य से कि वे ऐसे समस्त अधिवक्ता एवं उनके लिपिक को जिनकी विगत दिनों में संक्रमित बन्दियों/सदस्यों के सम्पर्क मे आने की कोई सम्भावना रही हो, उन्हें अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु निर्देशित करते हुये न्यायालय परिसर में आने से तब तक रोका जाय, जब तक वे संक्रमण से मुक्त न हो जाए।

9— आदेश की एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कासगंज एवं संयुक्त चिकित्सालय , कासगंज को इस निवेदन के साथ प्रेषित हो कि वह न्यायालय से सम्बन्धित कोई कर्मचारी/अधिवक्ता टेस्ट में कोरोना पोजिटिव पाया जाए तो तुरन्त अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करते हुये राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था करें।

10— सभी सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित हों एवं इस आदेश की प्रति जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे इस सूचना को लोकहित में समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करायें। आदेश की एक प्रति न्यायालय परिसर के नोटिस वोर्ड पर एवं एक प्रति न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर चस्पा की जाय एवं डिस्ट्रिक कोर्ट की वेवसाइट पर तुरन्त अपलोड किया जाए

आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को तदनुसार प्रेषित की जाय।

9.7.20

(ज्योत्सना शर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

Scanned with CamScanner